

Filling no. RCS-A/368/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 83 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/368/2017

CNR no. MP30010033842017

सिविल वाद क्रमांक 83 ए/2017

संस्थित दिनांक :-23/06/2017

1. मुसम्मात सरला पत्नी स्व0 नरपत सिंह जादौन,

उम्र-74 वर्ष, पुत्री बलवीर सिंह भदौरिया,

2. मुसम्मात विमला चौहान पत्नी स्व0 सुमेर सिंह,

उम्र-71 वर्ष, पुत्री बलवीर सिंह भदौरिया,

दोनों निवासी-वार्ड नं0 5 ग्राम अकोड़ा,

वर्तमान पता-सरस्वती कॉलोनी, 12 रोड,

कोटा (राजस्थान)

.....आवेदकगण/वादीगण

**//बनाम//**

1. विक्रम सिंह भदौरिया, उम्र-66 वर्ष,

2. किशन सिंह भदौरिया, उम्र-63 वर्ष,

3. आनंद सिंह भदौरिया, उम्र-61 वर्ष,

4. रघुराज सिंह भदौरिया, उम्र-59 वर्ष,

पुत्रगण बलवीर सिंह भदौरिया,

सभी निवासी-वार्ड नं0 5 ग्राम अकोड़ा,

तहसील व जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री रामकिशोर शर्मा

प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री मयंक शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 द्वारा श्री पवन राजौरिया अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

**//आदेश//**

( आज दिनांक 23.01.2018 को घोषित )

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. इस मामले में वार्ड क्रमांक 5 अकोड़ा, तहसील व जिला भिण्ड स्थित मकान, जिसकी अवस्थिति वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शायी गयी है (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित मकान" से निर्दिष्ट) के 1/3 भाग पर वादीगण के पक्ष में स्वत्व की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. वादीगण का आवेदन संक्षेप में यह है कि वादीगण के पिता बलवीर सिंह भदौरिया की वर्ष 1978 में मृत्यु होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उत्तराधिकारी के नाते प्राप्त हुआ, विवादित मकान का कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ और विवादित मकान के 1/6-1/6 भाग पर वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 का संयुक्त स्वत्व व कब्जा है। वादीगण विवाह के बाद अपनी-अपनी ससुराल गयीं, वादीगण निरंतर मायके में भी आती-जाती रहीं और मायके में बिना किसी रोक-टोक के विवादित मकान पर रहती चली आ रही हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने किराईच रोड पोरसा, मुरैना में मकान बनाया है, प्रतिवादी क्रमांक 2 ने आदित्यपुरम् ग्वालियर में मकान निर्माण कराया है, प्रतिवादी क्रमांक 3 ने भी जिला उद्योग कार्यालय के सामने समीर नगर, भिण्ड में मकान बनाया है और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 अपने उक्त मकानों में परिवार सहित रहते हैं। खेती व शादी-विवाह के अवसर पर वादीगण व प्रतिवादीगण उत्तराधिकार में प्राप्त विवादित मकान में संयुक्त रूप से निवास करते हैं, वादीगण अप्रैल में भी विवादित मकान पर आई, उसी दौरान दिनांक 28.05.2017 प्रतिवादी क्रमांक 1 की पत्नी ने वादीगण से कहा कि विवादित मकान में वादीगण का कोई हक नहीं है और तभी प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 भी आ गये। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 ने विवादित मकान में वादीगण का कोई स्वत्व नहीं होने और विवादित मकान के आँगन व गैलरी में निर्माण कर वादीगण का आवागमन निरुद्ध करने की धमकी दी। दिनांक 15.06.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवादित मकान में आवागमन की खुली गैलरी के बीचों-बीच निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस में की गयी और प्रतिवादीगण ने धमकी देते हुए कहा कि विवादित मकान पर वादीगण का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर यह सिविल वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है और वाद के लम्बन के दौरान विवादित मकान की गैलरी में निर्माण करने से वादीगण का आवागमन निरुद्ध हो जाएगा जिससे वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वाद के अंतिम निराकरण तक विवादित मकान पर कोई निर्माण कार्य न करें और मौके पर यथास्थिति बनाये रखें।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित मकान पर वादीगण का कोई स्वत्व या आधिपत्य नहीं है, पिता की मृत्यु के बाद विवादित मकान प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 को प्राप्त हुआ और घरेलू बंटवारा व लिखा-पढ़ी के अनुसार सभी अपने-अपने भाग पर काबिज हैं। बंटवारा के समय वादी क्रमांक 1 व उसके पति उपस्थित भी थे, वादीगण ने विवादित मकान पर अपना हक व हित अपने भाईयों प्रतिवादीगण के हक में स्वच्छया त्याग दिया था और पिता की मृत्यु के लगभग 39 वर्ष बाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद प्रथम दृष्ट्या अवधि बाह्य है। मेहमान के रूप में वादीगण किसी भी भाई के यहाँ आती-जाती रहती हैं, वादीगण को विवादित

मकान के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के बीच बंटवारा की पूर्ण जानकारी है और विवादित मकान पर वादीगण का कोई हक है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है, वादीगण अपनी ससुराल में रहती हैं, सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये। प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 की ओर से आवेदन का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है और प्रतिवादी क्रमांक 2 एकपक्षीय है।

**5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-**

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

**निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार**

**विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 से 3 :-**

6. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित मकान वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के पिता बलवीर सिंह की सम्पत्ति थी और उक्त बलवीर सिंह की मृत्यु वर्ष 1978 में हो चुकी है। वादीगण बलवीर सिंह की पुत्रियाँ हैं, ऐसी दशा में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बलवीर सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी पुत्रियाँ (वादीगण) विवादित मकान को मृतक बलवीर सिंह के पुत्रों प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के साथ समान भाग उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगी।

7. बलवीर सिंह की मृत्यु के लगभग 39 वर्ष पश्चात् संस्थित यह सिविल वाद अवधि बाह्य है, यह विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसका निराकरण साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर ही किया जा सकता है। यह तथ्य अविवादित है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 एक ही पिता बलवीर सिंह के कमशः पुत्रियाँ व पुत्र हैं और इस प्रकार स्व० बलवीर सिंह के उत्तराधिकारी हैं। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों प्रथम दृष्ट्या यही प्रकट है कि विवादित मकान पर स्व० बलवीर सिंह के उत्तराधिकारी के नाते वादीगण का हक व हित है।

8. वादीगण का ही यह अभिवचन है कि विवादित मकान का कोई बंटवारा नहीं हुआ, इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 का विनिर्दिष्ट अभिवचन है कि घरेलू बंटवारा हो चुका है और बंटवारा होने या नहीं होने का अवधारण भी साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर किया जा सकता है। इस प्रक्रम पर स्वयं वादीगण का अभिवचन दृष्टव्य

है जिसके अनुसार विवादित मकान का कोई बंटवारा नहीं हुआ और बलवीर सिंह की मृत्यु के पश्चात् विवादित मकान पर वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 का सहस्वामी के रूप में संयुक्त स्वत्व व संयुक्त कब्जा माना जायेगा।

9. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 19 में यह प्रावधान है कि जब दो या अधिक उत्तराधिकारी मृतक की सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं तो वे सम्पत्ति को सहस्वामी के रूप में धारित करेंगे और यह स्थापित विधि है कि एक सहस्वामी के पक्ष में दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध कब्जे में हस्तक्षेप से रोकने हेतु कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यह भी स्थापित विधि है कि विभाजन एवं विनिर्दिष्ट भाग पर अनन्य कब्जे के अभाव में प्रत्येक सहस्वामी का संयुक्त स्वत्व की सम्पत्ति के प्रत्येक भाग पर कब्जा होता है और एक सहस्वामी का कब्जा भी दूसरे सहस्वामी का कब्जा माना जाता है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा में भी ऐसा कोई विनिर्दिष्ट स्थान नहीं दर्शाया गया है जिस पर वादीगण का अनन्य व एकल कब्जा हो और स्वयं वादीगण के अनुसार विवादित मकान का कोई बंटवारा नहीं हुआ।

10. वादीगण के अनुसार विवादित मकान के पश्चिम में स्थित गैलरी पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस बारे में कोई अभिवचन नहीं है कि यह गैलरी अनन्य रूप से वादीगण के कब्जे की है और गैलरी में अभिकथित निर्माण से किसी भी दशा में वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति भी नहीं होती है। उक्त तथ्य व परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति वादीगण के पक्ष में नहीं मानी जा सकती है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु आवश्यक बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में नहीं है, अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)